न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 39/2015 (2015/00068)

1. सीताराम पुत्र नारायण
2. पांचू पुत्र गुल्ला

समस्त जाति कहार, निवासीगण नदी–सराधना तहसील एवं जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती मांगी धर्मपत्नि सुरजकरण
2. मोहनी पत्नी गुलाब पुत्र सुरजकरण
3. रूकमा पत्नी हरीराम पुर सुरजकरण
4. सन्तोष पत्नी शिवजी
5. भुरी पत्नी कालू
6. सुगम पुत्र सुख्खा
7. लाडी पुत्री सुख्खा

समस्त जाति कहार निवासीगण–ग्राम नदी–सराधना, तहसील व जिला–अजमेर।

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सराधना तहसील व जिला–अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मौहम्मद इकबाल — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री अशोक अग्रवाल — अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स
3. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 19.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नदी–सराधना तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी जिसके पुराने खसरा 535 रकबा 15–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 18.6.1963 को सुखा वल्द रामा कहार साकिन नदी–सराधना को किया गया था। खसरा नं0 535 के नये नम्बर 728 रकबा 14–01–00 बीघा (काबिल काश्त भूमि) कायम किये गये। आवंटी/रेस्पोडेन्ट्स का प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई। प्रश्नगत आराजी बाबत आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी दर्ज नहीं किया गया। आवंटन के पश्चात प्रश्नगत आराजी सिवायचक ही दर्ज रही। इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर के द्वारा बिना वास्तविक कब्जे काश्त की जांच किये आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1477 दिनांक 15.06.2011 से अपीलाधीन आराजियात को रेस्पोडेन्ट्स के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश जारी कर दिया। आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 को निर्णय दिनांक 13.01.2014 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश की अपील जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष संधारण होना मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट्स द्वारा अपील संख्या 27/2015 व अपील संख्या 28/2015 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। उपरोक्त दोनो अपीलों के विचाराधीन रहतें तहसीलदार अजमेर द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश व डिक्री के नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.9.2015 रेस्पोडेन्ट्स के हक में पारित कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा मुख्यतः इन्ही तथ्यों के आधार पर तहसीलदार अजमेर के द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.9.2015 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा प्रकरण आवश्यक प्रकृति का बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुने जाने के निवेदन के तहत उन्हें सुना जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.11.2015 तक विवादित आराजी की रेकार्ड व मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 से 07 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने स्थगन आदेश प्रस्तुत किया। पूर्व जारी स्थगन आदेश की अवधि आगे नहीं बढाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 08, 09 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात अपील बहस हेतु नियत की जाकर उभय पक्ष की अपील बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नदी–सराधना तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी जिसके पुराने खसरा 535 रकबा 15–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 18.6.1963 को सुखा वल्द रामा कहार साकिन नदी–सराधना को किया गया। उक्त आवंटित खसरा नं0 535 के नये नम्बर 728 रकबा 14–01–00 बीघा (काबिल काश्त भूमि) कायम किये गये। आवंटी सुखा पुत्र रामा तथा उनके वारिसान का प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई। प्रश्नगत आराजी बाबत आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी दर्ज नहीं किया गया। आवंटन के पश्चात प्रश्नगत आराजी सिवायचक ही दर्ज रही। इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर के द्वारा बिना वास्तविक कब्जे काश्त की जांच किये आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1477 दिनांक 15.06.2011 से अपीलाधीन आराजियात को रेस्पोडेन्ट्स के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश जारी कर दिया। आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 को निर्णय दिनांक 13.01.2014 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश की अपील जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष संधारण होना मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट्स द्वारा अपील संख्या 27/2015 व अपील संख्या 28/2015 प्रस्तुत की गई। उपरोक्त दोनो अपीलों के विचाराधीन रहतें तहसीलदार अजमेर द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश व

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

को के नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.9.2015 पारित कर दिया। जबकि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का कतई पालन नहीं की गई थी। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 स्वतः ही निरस्त हो गया था। इसके बावजूद आवंटन के 48 वर्ष पश्चात आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से काबिले निरस्तनीय है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि तहसीलदार अजमेर एवं नायब तहसीलदार सराधना द्वारा मिलीभगत कर न्यायालय हाजा में अपील विचाराधीन होने के तथ्य को नजरअन्दाज कर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.09.2015 पारित किया जो काबिले खारिज योंग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार, सराधना द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.09.2015 को निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी. मई 2007 पेज सं. 340 से 343, आर.आर.डी. अक्टू0 2007 पेज 719 से 723, आर.एल.डब्ल्यू 2001 पेज 376 से 379, के उद्धरण उद्वत करवाये।

जवाब में रेस्पोंडेन्ट्स सं0 01 से 7 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम सराधना की वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज सुखा पुत्र रामा को नियत प्रकिया के तहत आदेश दिनांक 8.6.1963 के द्वारा आवंटित की गई थी। जिला कलक्टर अजमेर के आदेशानुसार तहसीलदार अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2011 पारित किया गया तथा इसी आदेश की पालना में दिनांक 15.6.2011 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1477 सुरजकरण पुत्र सुखा, सुगन पुत्र सुखा एवं लादी पुत्री सुखा का नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में अकित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 13.6.2014 से स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 7.02.2014 द्वारा वादग्रस्त आराजी पुनः सिवाय चक दर्ज कर दी गई थी। राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के निर्णय की अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष की गई जो निर्णय दिनांक. 11.5.2015 से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.6.2014 निरस्त किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा इस आदेश की विशेष अपील भी प्रस्तुत की जो मण्डल के निर्णय दिनांक 21.8. 2015 द्वारा निरस्त की गई है। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेशों की पालना में ही तहसीलदार, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.9.2015 पारित किया तथा इसी आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सराधना द्वारा आक्षेपित नामन्तरकरण दर्ज/स्वीकृत किया जो न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों के तहत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट्स किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 145, 157 आर.आर.टी. 2016 (1) 718, 82 आर.बी.जे. 2011 पेज 296, आर.आर.डी. 2001 पेज 206, 126, 437, आर. आर.टी. 2006 (2) पेज. 1171, आर.आर.टी 2007(2) पेज 1181, आर.आर.टी 2005(1) पेज 86, आर.बी.जे. 2000 पेज सं. 457 आर.आर.टी. 2006–07 (sup.) पेज 273 आर. आर.डी. 1993 पेज 800, आर.आर.टी 2011 पेज 383, के उद्धरण उद्वत करवाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.09.2015 को यथावत् रखे जाने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत पारित आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.9.2015 को नायब तहसीलदार सराधना द्वारा रिव्यू करते हुए आदेश दिनांक 18.11.2015 द्वारा निरस्त किया जा चुका है, तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवाय चक दर्ज है। लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स की अपील तहसीलदार अजमेर के आदेश दिनांक 24.9.2015 की पालना में नायब तहसीलदार सराधना द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 25.9.2015 के विरूद्ध है। ग्राम नदी सराधना के तत्कालीन खसरा संख्या 535 का रकबा 33–19–00 बीघा था, जिसमें से रकबा 15–00–00 बीघा बारानी 3 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज सुखा पुत्र रामा कहार को किया गया था। तहसीलदार अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2011 के आधार पर दिनांक 15.6.2011 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1477 सुरजकरण पुत्र सुखा, सुगन पुत्र सुखा एवं लादी पुत्री सुखा का नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में अकित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 13.1.2014 से स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 7.02.2014 द्वारा वादग्रस्त आराजी पुनः खातेदारी से सिवाय चक दर्ज कर दी गई थी। राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के निर्णय की अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का अपीलाधीन निर्णय क्षैत्राधिकारिता के बिन्दू पर ही निरस्त किया गया। इस आदेश की विशेष अपील भी मण्डल के निर्णय दिनांक 21.8.2015 द्वारा निरस्त की गई। तत्पश्चात तहसीलदार, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.9.2015 के आधार पर नायब तहसीलदार सराधना द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण पारित किया जाना प्रकट होता है। किन्तु बाद में जानकारी में आने पर दिनांक 18.11.2015 को नायब तहसीलदार सराधना द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण पर "भूमि मौके पर विवादित होने एवं राजहित प्रभावित होने से राजकीय हितो के मध्यनजर रखते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 25.9.2015 पर पुनः विचार कर, रिव्यू करते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता है।" का अंकन दर्ज करते हुए दिनांक 18.11.2015 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 144 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। चूकिं आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त होकर विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। लिहाजा आराजी मुतनाजा बाबत मौजूदा अंकनों के तहत अपील, अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner